

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

E-mail ID- irrigationdivbiharsharif@gmail.com

Phone No. 7463889411

पत्रांक:- 1906 / बिहारशरीफ,

दिनांक:- 16/06/2026

अल्पकालीन निलामी सूचना सं0-02/2026-27

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोकाईन सिंचाई योजना के शीर्ष कार्यस्थल (राढ़िल छिलका) के पास वित्तीय वर्ष 2026-27 के निलामी सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय के कक्ष में क्रमशः दिनांक-02.07.2026, 04.07.2026 एवं 06.07.2026 को 12:30 बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जायेगी। उपरोक्त तिथियों में जिस तिथि को निलामी का निष्पादन हो जायेगा, उसके बाद की तिथि स्वतः रद्द समझी जायेगी। खुली डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को संबंधित सैरातों को विभाग द्वारा निर्धारित अग्रधन की राशि डाक में शामिल होने से पूर्व सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय में एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। निलामी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

क्र० सं०	निलामी स्थल का विवरण	निलामी की तिथि	न्यूनतम निर्धारित डाक की राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	अभियुक्ति
1	लोकाईन सिंचाई योजना के शीर्ष कार्यस्थल (राढ़िल छिलका) के पास	02.07.2026 04.07.2026 एवं 06.07.2026	29,60,100	2,96,100	अवधि आवंटन की तिथि से दिनांक 30.06.2027 तक

विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु Website <https://wrd.bihar.gov.in> पर देखा जा सकता है।

निलामी में भाग लेने की शर्तें निम्न प्रकार होगी-

- न्यूनतम सरकारी डाक की राशि रु० 29,60,100.00 (उनतीस लाख साठ हजार एक सौ रुपये) मात्र होगी।
- निलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक डाककर्ता को जमानत की राशि के रूप में रु० 2,96,100.00 (दो लाख छियानवै हजार एक सौ रुपये) मात्र जमा करना होगा। डाक में असफल डाककर्ता को यह राशि डाक के बाद तत्काल लौटा दी जायेगी।
- उच्चतम डाक बोलने वाले को पूर्ण राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ के नाम से हो एवं बिहारशरीफ शाखा पर देय हो, तीन दिनों के अन्दर जमा करना होगा। अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं इसकी पुनः निलामी की जायेगी।
- अग्रधन की राशि जमा करते समय पहचान पत्र (आधार कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र) की छायाप्रति जमा करना होगा।
- मछली मारने की परिसीमा मुख्य शीर्ष से 100 फीट हट कर होगा।

6. मछली मारने की अवधि में शीर्षस्थल पर सरकारी समानों की क्षति का दायित्व डाककर्ता का होगा।
7. मछली मारने की अवधि सफल डाककर्ता को डाक आवंटन की तिथि से दिनांक-30.06.2027 तक मान्य होगा।
8. प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से मछली की क्षति होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
9. डाक को आंशिक या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
10. निलामी की पूरी प्रक्रिया का Videography होगा।
11. अन्य शर्तों या विशेष जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या निविदा आमंत्रण सूचना अथवा कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखें।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:- 1906

/बिहारशरीफ,

दिनांक:- 16/06/2026

प्रतिलिपि:—सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना (एक प्रति सीडी के साथ) को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।


16.06.2026

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।